उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या-4/2015/211/62-1-2015-819/2011

लखनऊ/दिनांक 10 फरवरी,2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (अभियंता और वैज्ञानिक) सेवा नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से कराये गये चयन में प्राप्त चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित हाइड्रोलाजिस्ट (जियोलाजी) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से बैण्ड-3, रू015600-39100, ग्रेड वेतन रू06600 में उनके नाम के सम्मुख अंकित सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद पर प्रोन्नत करते हुए 01 वर्ष् की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थल पर ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/वर्तमान पदनाम	पद जिस पर प्रोन्नत किया गया	वर्तमान तैनाती स्थल
1	2	3	4
1	श्री एन0सी0 सक्सेना, हाइड्रोलाजिस्ट (जियोलाजी)	सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-लखनऊ।
2	श्री उमेश् चन्द्र श्रीवास्तव, हाइड्रोलाजिस्ट (जियोलाजी)	सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 निदेशालय, लखनऊ।

2- इनकी तैनाती आदेश अलग से निर्गत किये जाएंगे तथा यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

चन्द्र प्रकाश

प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2015/211(1)/62-1-2015,तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत अधिकारी की योगदान आख्या प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें।

3- अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-प्रथम, बरेली।

4- संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल- द्वितीय, इलाहाबाद।

5- सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड- लखनऊ।

6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को राजकीय गजट के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु।

7- वैयक्तिक सहायक (प्रा0)(वैज्ञानिक विधा)/आहरण वितरण अधिकारी, भूगर्भ जल विभाग, रासायनिक प्रयोगशाला, लखनऊ।

8- सम्बन्धित अधिकारी ।

9- कोषाधिकारी, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/- (ओम नारायण अहिरवार)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in